न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 78/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/138)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. हरजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 31 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. बलजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 31 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. मनजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 31 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

तारीख रजू:– 17.05.2024

उपस्थितः 1. श्री कुलदीप बाना, श्री सुभाष गरूडा अधिवक्ता वादी
2. श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,</u>

—निर्णय— दिनांक : 07.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 2, 13, 14, 24, 39, 56/10, 56/11, 56/13, 56/21, 56/26 की कुल 19.164 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त चक 31 एच के मुरब्बा नम्बर 39 की भूमि निरंजन सिंह के नाम दर्ज थी। निरंजन सिंह के द्वारा उक्त भूमि को राजस्थान सरकार द्वारा जरिये आदेश दिनांक 17.09.1957 से मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 4,5,6,7,14,15(5 बीघा 9 बिस्वा) व आदेश दिनांक 13.08.1957 से चक 31 एच के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 16,25,17,24(3 बीघा 16 बिस्वा) नहरी भूमि से बाग में तब्दील करवाई एंव बाग के लिए अतिरिक्त पानी मंजूर करवाया। वादी के दादा इन्द्र सिंह के द्वारा उक्त भूमि निरंजन सिंह से खरीद कर ली। उक्त भूमि वादी के दादा से जरिए वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14, 15, 16, 17 में बाग है। उक्त रकबा की पानी की पर्ची भी बाग के रकबा अनुसार ही जारी की जा रही है, लेकिन सहवन से चक 31 एच के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14,15,16,17 जमाबन्दी में नहरी चल रहा है, जो सहवन से मिसल बन्दोबस्त के समय नहरी भूमि से बाग दर्ज होने से रह गया था। जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 के श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को नहरी से बाग दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए व सहमति का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 231 दिनांक 09.04.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू. अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 2, 13, 14, 24, 39, 56/10, 56/11, 56/13, 56/21, 56/26 की कुल 19.164 हैक्टेयर भूमि बलजीत सिंह, मनजीत सिंह, हरजीत सिंह पिसरान जरनैल सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 4/2 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24,25 की 0.227 हैक्टेयर बाग दर्ज है एंव किला नम्बर 8/1, 9/3, 11/1, 12/2 ता 23 नहरी दर्ज है। वर्तमान में मौके पर किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.962 हैक्टेयर भूमि पर बाग लगा हुआ है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में बाग दर्ज नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 2, शपथपत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2051 ता 2054 के खाता संख्या 02/02 की छायाप्रति, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 17.09.1957 की प्रमाणित प्रति, व आदेश दिनांक 13.08.1958 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि की किस्म को नहरी से बाग दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक वर्तमान में मौके पर चक 31 एच के मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.962 हैक्टेयर भूमि पर बाग लगा हुआ है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में बाग दर्ज नहीं है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 17.09.1957 व आदेश दिनांक 13.08.1958 के अनुसार चक 31 एच के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को बाग के हिसाब से अतिरिक्त पानी मंजूर है। अतः वाद पत्र वादी, जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 2, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 17.09.1957 व आदेश दिनांक 13.08.1958 के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

हरजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 78/2024

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को नहरी से बाग दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ़्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

हरजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 78/2024

निर्णय दिनांक :- 07.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कुलदीप बाना, श्री सुभाष गरूडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को नहरी से बाग दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 07.06.2024

क्रमांक: रीडर/2024/270

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर